भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1854
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए निधि

†1854. **श्री सु. वेंकटेशन:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने के लिए की गई शीत श्रृंखला अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2008 से एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (शीत श्रृंखला योजना) का कार्यान्वयन कर रहा है। दिनांक 30.06.2026 तक, शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत, देश भर में 409 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को कुल 3089.08 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 2540.89 करोड़ इन्हें कार्यान्वित करने के लिए रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे फसलोत्तर नुकसान को कम करने में सहायता मिल रही है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तीन योजनाओं, अर्थात् (i) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), (ii) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना, और (iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को लागू करके खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत किया जा सके। ये पहलें फसलोत्तर नुकसान को कम करने, मूल्यवर्धन बढ़ाने, बाजार तक पहुंच में सुधार करने और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।
